

## ❖ कार्यालय उप वन संरक्षक, जयपुर (उत्तर) ❖

पुराना कोल डिपो, झोटवाडा रोड, पानी पेच, जयपुर-302016 e-mail dcfjaipurnorth@gmail.com Ph. 0141-2303165

क्रमांक :- एफ( ) FCA/उवसंजउ/2019-20/ 844

दिनांक 31/1/2020

निमित्त,

Vishnu Kumar Agarwal,  
D-46-B, Malviya Marg, C-Scheme,  
Jaipur302001

विषय :- जयपुर जिले की तहसील कोटपूतली के ग्राम- दूदावास व बूचारा (वन खण्ड गावडी -68) में क्वार्टर एवं फैंसपार खनन कार्य हेतु 32.5417 हैक्टर वन भूमि के अनारक्षण के क्रम में।

सन्दर्भ :- आप द्वारा पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वेबपोर्टल OSMFWCP पर online किये गये प्रस्ताव सं- FP/RJ/MIN/7942/2014 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित प्रस्ताव के क्रम में लेख है कि आप द्वारा पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वेबपोर्टल OSMFWCP पर प्रस्ताव सं- FP/RJ/MIN/7942/2014 को रजिस्टर कर फार्म A Online प्रस्तुत करने के साथ-साथ उक्त प्रस्ताव के 6 सेट हार्डकॉपी में इस कार्यालय में जमा कराये गये हैं। जिनका परिक्षण करने पर निम्नलिखित कमियां पाई गई है:-

1. आप द्वारा जमा कराई गयी पत्रावलियों पर प्रस्ताव का नाम, रकबा व प्रस्ताव संख्या इत्यादि कुछ भी लिखा हुआ नहीं है।
2. प्रस्ताव के साथ चैक लिस्ट संलग्न नहीं हैं।
3. प्रस्ताव के साथ पृष्ठ संख्या अंकित करते हुये पृष्ठ तालिका संलग्न नहीं हैं।
4. प्रस्ताव में संलग्न विभिन्न दस्तावेजों/नक्शों पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी का नाम व दिनांक अंकित नहीं हैं।
5. प्रस्ताव में Village wise breakup एवं Component wise breakup Area में अन्तर हैं। जिसे संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।
6. प्रस्ताव के साथ संलग्न प्लान मैप स्पष्ट नहीं हैं।
7. प्रस्ताव के साथ संलग्न जी.टी. शीट में FRP Point Mark नहीं किया गया है।
8. प्रस्ताव के साथ संलग्न डिजिटल मैप पर खसरा मैप सुपर इम्पोज नहीं किया गया है।
9. अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी, एफसीए के पत्र क्रमांक एफ 16 ( ) 2010/एफसीए/प्रमुवसं/ईडीएस-4 दिनांक 1.07.2019 के बिन्दु सं. 6 की पालना में आप द्वारा लिखा गया है कि प्रस्तावित नैर वन भूमि का खसरा मैप एवं जमाबन्दी नकल संलग्न हैं, किन्तु प्रस्ताव में खसरा मैप एवं जमाबन्दी नकल संलग्न नहीं हैं।

उक्त बिन्दुओं पर सूचना आप युजर ऐजेन्सी से ली जानी प्रस्तावित है अतः उक्त बिन्दुओं की पूर्ति कर प्रस्ताव पुनः प्रेषित करने के बाद ही अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।

भवदीय

(डी.के. जोशी) 31/1/20

उप वन संरक्षक,  
जयपुर (उत्तर)